राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 5355

दिनांकः 30.07.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 19386–87 दिनांक 25.06.18 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 94 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोहर पुत्र पूनमचंद जाति कंजर उम्र 23 साल निवासी डेरा कंजरान किशनपुरिया थाना सदर जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2018 को श्यामलाल हैड कानिस्टेबल मय जाप्ता के चेकिग गुंडा बदमाशान व अवैध कार्य की रोकथाम हेतु गश्त करते हुए श्योपुर व बिरियाखेडी तिराहे पर पहुंचा एंव नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति मोटर सायकल से किशनपुरिया रोड की तरफ से आया जो पुलिस जीप को देखकर वापस मुडकर मोटर सायकल से भागने लगा। जिस पर संदेह होने पर जीप को आगे निकालकर हमराही जाप्ते की मदद से पकडा नाम पता पूछा तो घबराते हुए उसने अपना नाम मनोहर पुत्र पूनमचंद जाति कंजर उम्र 23 साल निवासी डेरा कंजरान किशनपुरिया थानां सदर जिला झालावाड बताया। जिसकी तलाशी लिये जाने पर 2 जिंदा कारतूस .315 बोर के मिले। अनुज्ञापत्र नही बताये जाने पर मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3 / 25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया गया। जब्तशुदा 2 कारतूस .315 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आरर्मोरर ने बताया कि दो कारतूस .315 बोर जो पीतल के बने हुए है, कारतूस की केप पर केएफ 8 एमएम अंकित है। कारतूस कंपनी द्वारा निर्मित है। दोनो कारतूसो मे से एक कारतूस के पेंदे मे पिन फायरिग का निशान होने के कारण यह कारतूस मिस है तथा दूसरा कारतूस जिंदा अवस्था मे है। उक्त दोनो कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री दुलीचंद एसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मनोहर पुत्र पूनमचंद जाति कंजर उम्र 23 साल निवासी डेरा कंजरान किशनपुरिया थाना सदर जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड